Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 12-05-2005

Participants : Mishra Dr. Rajesh Kumar

an>

Title: Need to include the Rajbhan Community in the list of Scheduled Castes.

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज आपने मुझे उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण विाय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राजभर जाति एक बहुत पिछड़ी जाति है। 16 जून 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार, अपनी सिफारिश के साथ, केन्द्र सरकार को एक पत्र भेजा और उसमें यह कहा कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। पिछला पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मार्च 2004 को भेजा था। इन पत्रों में यह समायोजित किया गया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। पहली बार विधान सभा की याचिका समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश में राजधर / राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई।

सभापति महोदय : राजेश जी, आप पढ़ कर मत बोलिए। पढ़ कर बोलने से बात खत्म नहीं हो पाएगी।

डॉ. राजेश मिश्रा : मान्यवर, मैं रिपोर्ट की एक लाइन बता रहा हूं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि राजभर जाति का चमार / पासी जाति से मिलता-जुलता स्वरूप है इसलिए इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राजभर जाति एक विमुक्त जाति की श्रेणी में आती है। उत्तर प्रदेश में 19 जातियां विमुक्त जाति की श्रेणी में हैं। 19

जातियों में से 18 जातियां इस समय अनुसूचित जाति की श्रेणी में ऑलरेडी घोाित की जा चुकी हैं। केवल राजभर जाति उस विमुक्त जाति में से बची है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के डायरैक्टर ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में यह रिपोर्ट आई कि 63 परसैंट लोग राजभर जाति के लोगों के हाथ से छुआ पानी नहीं पीते हैं और उस जाति के 82.5 परसैंट लोग अशिक्षित हैं।

सभापति महोदयः अब आप खत्म करिए। मैं अगला नाम बुला रहा हूं।

डॉ. राजेश मिश्रा : मान्यवर, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि 1984 में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी थी और पिछली उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004 में जो रिपोर्ट भेजी है, उसे कंसिडर करते हुए राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

सभापति महोदयः मेरी सभी से यह रिकवैस्ट है कि स्पीकर साहब ने खास तौर पर यह बात कही है कि एक-एक मिनट में ब्रीफ में सब अपनी बात कहें। केवल कुछ लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : सभापति महोदय, क्या मेरा नाम है?

सभापति महोदयः अगर आप कहें तो मैं नाम पढ़ देता हूं। श्री येरननायडु, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री राम कृपाल यादव, श्री रूपचन्द पÉÉãÉ[R20]।

आप कृपया बैठे रहिए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That is not the way. आप कल अपनी बात कह लीजिए या फिर इन्हें दे दीजिए। स्पीकर साहब ने इन सदस्यों को अपने विवेक के हिसाब से तय किया है। मेरे पास यह लिस्ट है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे पास जो लिस्ट है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। आप अपनी जगह लीजिए और सिर्फ श्री हन्नान मोल्लाह को अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके दो मसले हैं, इनमें से आप वक्फ बोर्ड की बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)